संख्या डीसीएच/6 (1)/2002-पी एंड एस
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 30 अगस्त,2006

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हथकरघा प्रभारी सचिव
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हथकरघा प्रभारी निदेशक
3. प्रबंध निदेशक, रा.ह.वि.निगम, लखनऊ

विषय: मिल गेट कीमत योजना-दसवीं योजना के दौरान योजना को चालू रखने हेतु अनुमोदन ।

महोदय,

दसवीं योजना के दौरान मिल गेट कीमत योजना को चालू रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ज्ञापित करने का मुझे निदेश हुआ है । दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित होने वाली इस योजना के 2 घटक हैं :-

I. मिल गेट कीमत पर धागे की आपूर्ति संबंधी योजना
II. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम में इनवेस्टमेंट

योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश **अनुबंध** में दिए गए हैं । कृपया व्यापक प्रचार-प्रसार और समुचित आदेश देते हुए योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।

भवदीया,
ह/-
(एस.अपर्णा)
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

प्रति:

1. एकीकृत वित्त स्कंध, वस्त्र मंत्रालय
2. हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय में सभी अधिकारी/अनुभाग
3. सुविधा काउंटर को 50 प्रतियां
4. फ्लापी के साथ एक प्रति राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को योजना को वस्त्र मंत्रालय के वेबसाइट में डालने हेतु
5. समन्वय अनुभाग को 50 प्रतियां उनके पत्रांक 1/10/2002-डीसीएच/समन्वय दिनांक 1/11/2002 के संदर्भ में ।

ह./-
(एस.अपर्णा)
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

<u>मिल गेट कीमत योजना</u>

प्रस्तावना:

हथकरघा बुनाई एक श्रमसाध्य व्यवसाय है जो सारे देश के अधिकांशत: गांवों में फैला हुआ है । यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 120 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है । इस क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल धागा होता है जो कि कताई मिलों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है । धागे को व्यापारियों द्वारा विनियंत्रित किया जाता था और अधिकतम हथकरघा बुनकर अपने धागे की आवश्यकता के लिए इन व्यापारियों पर निर्भर रहते थे । इसके फलस्वरूप धागे की कीमतों में बेरोकटोक बढोत्तरी होती रही और इसकी उपलब्धता में कमी आती गई ।

इन समस्याओं के निदान के लिए भारत सरकार ने धागे के बाजार में प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष निकाय के गठन की आवश्यकता महसूस की और 1983 में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लिमिटेड (एन एच डी सी), भारत सरकार का उपक्रम की स्थापना की । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का मुख्य उद्देश्य समग्र देश के बुनकरों को एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से उपयुक्त एवं अपेक्षित गुणवत्ता का धागा उपलब्ध कराना है । किसी विशेष स्थान में निर्मित धागा उस स्थान तथा आस-पास में उपलब्ध कपास की गुणवत्ता पर आधारित होता है, जबकि किसी विशेष स्थान पर बुनकरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला धागा उस स्थान विशेष में प्रचलित उपभोग प्रणाली पर आधारित होता है । धागे का एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहन करने से धागे की कीमत में वृद्धि होती है और इसके कारण बुनकरों को अलाभकारी स्थिति में आना पड़ जाता है । उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने धागे की आपूर्ति उस कीमत पर करने के लिए एक योजना शुरू की जिस पर वह 1992 में मिल गेट पर उपलब्ध है । इस योजना के अंतर्गत धागे की आपूर्ति में आने वाले परिवहन व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी एन एच डी सी है ।

भारत सरकार, एनएचडीसी को अपनी गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए इक्विटी प्रदान करती रही है । चूंकि एनएचडीसी की पूंजी को बढ़ाकर इसको मजबूत करना इसकी गतिविधि अर्थात मिल गेट कीमत योजना के कार्यान्वयन का अभिन्न हिस्सा है इसलिए यह उपयुक्त समझा गया है कि एनएचडीसी में निवेश करने संबंधी घटक को मिल गेट कीमत योजना में विलय कर दिया जाए । इस प्रकार, इस योजना को मिल गेट कीमत योजना का नाम दिया गया जिसके दो घटक हैं । (1) मिल गेट कीमत पर धागे की आपूर्ति (2) एनएचडीसी में निवेश ।

(क) मिल गेट कीमत पर धागे की आपूर्ति

1. उद्देश्य:

इस घटक का उद्देश्य पात्र हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराना ताकि हथकरघा क्षेत्र में मूलभूत कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को सुगम बनाया जा सके और इस क्षेत्र की रोजगार देने की क्षमता का उपयोग करने में उसको मदद पहुंचाई जा सके ।

2. योजना का कार्य क्षेत्र

2.1 जो एजेंसियां इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी, वे निम्नलिखित हैं :-

(क) राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/प्राथमिक स्तर के सभी हथकरघा संगठन ।

(ख) हथकरघा विकास केन्द्र ।

(ग) हथकरघा उत्पादक/निर्यातक/विनिर्माता जो एच.ई.पी.सी. से पंजीकृत हों/ वस्त्र मंत्रालय/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के उद्योग/हथकरघा निदेशक के अधीन कोई अन्य निर्यात संवर्धन परिषद ।

(घ) हथकरघा वस्तुओं को तैयार करने के लिए सभी अनुमोदित निर्यात हाउस/ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस ।

(ङ) -मान्यता प्राप्त/अनुमोदित हथकरघा संघों के सदस्य ।

(च) -कापार्ट के मानदंडों को पूरा करने वाले गैर-सरकारी संगठन ।

(छ) -विकास आयुक्त (हथकरघा) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य एजेंसी ।

2.2 हथकरघा वस्तुओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित सभी किस्म का धागा मिल गेट मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा सकता है । मिल गेट मूल्य का अर्थ ऐसे मूल्य से है जिस मूल्य पर धागा सिल्क के मामले सिल्क एक्सचेंज के पंजीकृत लाइसेंस धारकों से, रंजित/प्रसंस्कारित धागे के मामले में प्रसंस्करण कर्ताओं/रंजक घरों से, और सूती और अन्य प्रकार के धागे के मामले में प्रतिष्ठित कताई मिलों से खरीदा जाता है । रेशमी धागे और रंजित/प्रसंस्कारित धागे के मामले में एन एच डी सी से सभी प्रकार के भुगतान उनके बैंक खातों से आहरित एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से किए जाएं ।

3. संगठनात्मक व्यवस्था-

3.1 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) कार्यान्वयन एजेंसी होगी ।

3.2 2.1 में उल्लिखित पात्र एजेंसियों को ही एनएचडीसी द्वारा धागे की आपूर्ति की जाएगी ।

4. आपूर्ति संबंधी प्रणाली

4.1 पात्र एजेंसियां योजना के तहत एनएचडीसी को अपनी मांग भेजेगी ।

4.2 एनएचडीसी मांग विनिर्देशों के अनुसार पूर्तिकारों से आपूर्ति संबंधी समझौता करेगा ।

4.3 उपभोक्ता एजेंसियां हथकरघों पर कपड़ा तैयार करने अथवा योजना में दर्ज अपनी सदस्य समितियों/बुनकरों को इसके पूरे लाभ पहुंचाते हुए धागे का उपयोग करेंगी । प्रत्येक उपभोक्ता एजेंसी **अनुबंध-1** में निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का एक वचनबद्ध एनएचडीसी को प्रस्तुत करेगी ।

5. दावा प्रतिपूति -

5.1 प्रतिपूर्ति की दर, जिसमें परिवहन लागत, उठाने-धरने तथा संचालन व्यय भी शामिल है, निम्न प्रकार होगी -

(1) रेशम तथा जूट धागे से अन्य - मूल्य का 3.5%

(2) सभी प्रकार के रेशमी धागे - मूल्य का 2%

(3) जूट का धागा तथा इसके मिश्रित धागे जिनमें जूट का अनुपात 50% से ज्यादा है - मूल्य का 10%

5.2 चूंकि एआएचडीसी समान दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त करेगी इसलिए पैरा 5.3 के अनुसार प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि के अनुसार अंतर के आधार पर माल-भाड़ा लागत को उसे पूरा करना होता है । पूर्वोत्तर राज्यों के लिए माल भाड़ा प्रतिपूर्ति को क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक रखा गया है ।

5.3 एजेंसियों को माल-भाड़ा की अधिकतम प्रतिपूर्ति धागे के मूल्य की प्रतिशतता के अनुरूप निम्न प्रकार होगी -

	मैदानी	**पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्र**	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**
रेशम/जूट धागे के अलावा	1.00%	1.75%	3.00%
रेशम का धागा	1.00%	1.25%	1.50%
जूट/जूट मिश्रित धागा	7.00%	8.00%	8.50%

परिवहन की वास्तविक लागत अथवा उपर्युक्त मालभाड़ा प्रतिपूर्ति, इनमें से जो भी कम हो, की अनुमति दी जाएगी । धागा खरीद, परिवहन आदि के ब्यौरे उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा **अनुबंध-।।** की **परिशिष्ट "ख"** में निर्धारित फर्मेट में दिए जाएंगे ।

5.4 धागे को मिलों से एजेंसियों तक ले जाते समय प्रतिपूर्ति की दर की गणना मात्रा, मूल्य तथा मालभाड़े की प्रवृत्ति के आधार पर की गई है । क्षेत्र की प्राथमिकता के संबंध में पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

5.5 धागे की लागत के अलावा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम धागे की प्राप्ति के स्थान अर्थात रेशम के मामले में कताई मिलों/पंजीकृत चरखी यूनिटों तथा तैयार/रंजित धागे की स्थिति में संसाधकों रंजन-शालाओं से आपूर्ति किए गए तथा सुपुर्दगी स्थान अर्थात एजेंसी के उसके प्रचालन कार्य क्षेत्र में स्थित गोदाम तक पहुंचाए गए धागे पर आने वाली परिवहन लागत का वहन करेगा । परिवहन लागत के लेखा-जोखा को बनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम माल को भाड़े की अदायगी के आधार पर भेजेगी तथा उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा इस प्रकार दी गई पूरी राशि की प्रतिपूर्ति एनएचडीसी द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी । ऐसी प्रतिपूर्ति एलआर/जीआर आदि के साथ दावा बिल प्रस्तुत करने पर की जाएगी । एनएचडीसी द्वारा उपभोक्ता एजेंसियों को परिवहन प्रभार भुगतान उसके अपने बैंक खाते में आहरित चैक के माध्यम से किया जाएगा । किसी भी स्थिति में एनएचडीसी परिवाहक को नकद अथवा चैक से सीधे भुगतान नहीं करेगा ।

5.6 एनएचडीसी यथासंभव काफी समय पहले व्यवहारिक अधिप्राप्ति प्लान तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसी या आसपास के राज्यों में स्थित नजदीकी मिलों से निर्बाध आपूर्ति हो ।

5.7 सरकारी सहायता बेचे गए यार्न को वास्तव में प्रयोक्ता एजेंसी को सुपुर्द किए जाने पर ही देय होगी । निर्धारित दरों पर सहायता तिमाही आधार पर विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा निर्धारित फार्म में एन एच डी सी द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर देय होगी **(अनुबंध-II तथा अनुबंध-II का परिशिष्ट "क")** । यह प्रमाण-पत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है । लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र के साथ प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अलग से भेजे जाने वाले आपूर्ति किए गए यार्न के एजेंसी-वार ब्यौरे **(परिशिष्ट-ख-अनुबंध-II)** भेजे जाएंगे । एजेंसी अपने दावे के साथ एनएचडीसी को एलआर/डीआर आदि की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगी ।

5.8 निर्धारित दरों पर सरकारी सहायता की पूरी राशि लेखा परीक्षा विवरण की प्रस्तुति के बाद अदा की जाएगी । जिसकी छानबीन विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा की जाएगी । प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किए गए परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति समय पर किए जाने के लिए एनएचडीसी द्वारा 100.00 लाख रूपए तक की राशि का अग्रिम प्रत्येक तिमाही के आरंभ में दिया जाएगा । जिसे संबंधित तिमाही के अंतिम दावों से समायोजित किया जाएगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि पिछले वर्ष में ए-नएचडीसी को दिए गए अग्रिम के लेखाओं का एनएचडीसी द्वारा पूर्णत: निपटारा किया गया हो ।

6. डिपो का संचालन:

उद्देश्य:

6.1 हथकरघा बुनकर दूर दराज और भीतरी स्थानों में सूत की समय पर आपूर्ति न मिलने की समस्या का लगातार सामना कर रहे हैं । इसलिए धागे की यथासमय आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी है कि विकसित अवसंरचना का इन क्षेत्रों में अधिकतम उपयोग हो । सतत आधार पर डिपो चलाने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी किस्मों के सूत (अर्थात मिल गेट मूल्य योजना के तहत प्राप्त सूत तथा एजेंसियों द्वारा सीधे ही प्राप्त किया गया सूत) की आपूर्ति धागा डिपुओं के माध्यम से की जाएगी तथापि मिल गेट कीमत योजना के तहत एनएचडीसी द्वारा आपूर्ति किए गए धागे के मूल्य व मात्रा डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए की जाएगी ।

विस्तार-

6.2 पैरा 2.1 के अंतर्गत शामिल सभी एजेंसियां डिपो चलाने के लिए प्राधिकृत होंगी ।

स्थान-

6.3 एनएचडीसी की सहमति से इन डिपो के स्थान के बारे में एजेंसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

6.4 जहां पर डिपो चलाने के लिए कोई नया स्टाफ नहीं है तो डिपो चलाने संबंधी खर्चे की प्रतिपूर्ति एनएचडीसी द्वारा 2.5% की दर से संचालन एजेंसी को की जाएगी । एनएचडीसी को मिल गेट योजना के उपबंधों में से इस राशि की प्रतिपूर्ति वास्तविक खर्च के आधार पर एनएचडीसी को **अनुबंध-II** के **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार दावे प्रस्तुत करने पर की जाएगी ।

7. मोबाइल वैन चलाना-

उद्देश्य:

7.1 दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनकरों तक पहुंचने के लिए एजेंसी को समय-समय पर मोबाइल वैन चलाने की आवश्यकता होती है, ताकि बुनकर सूत उपलब्ध न होने की वजह से प्रभावित न हों ।

विस्तार

7.2 पैरा 2.1 के अंतर्गत शामिल सभी एजेंसियां मोबाइल वैन चलाने के लिए प्राधिकृत होंगी । तथापि, जो एजेंसियां डिपो चलाने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें मोबाइल वैन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

40 मोबाइल वैनों को इस प्रकार चलाया जाएगा ताकि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मोबाइल वैन उपलब्ध रहे । इसके अतिरिक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के अनुमोदन से और ज्यादा मोबाइल वैन चलाए जाने पर विचार किया जा सकता है । पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी । देश के शेष भागों में स्थित दूर-दराज क्षेत्रों को यह सुविधा मुहैया कराने के लिए हथकरघा,विकास आयुक्त कार्यालय योजना आयोग के परामर्श से दूर-दराज क्षेत्रों की पहचान करेगा ।

7.2 **सहायता** एक महीने में 20 दिन के लिए मोबाइल वैनों को चलाया जा सकता है । मोबाइल वैनों को चलाने के लिए प्रतिदिन 1500/- रू. अथवा वास्तविक खर्च, इसमें से जो कम हो की प्रतिपूर्ति की जाएगी । हथकरघा कपड़ों की प्राप्ति के लिए भी मोबाइल वैन का उपयोग किया जा सकता है तथा उस सीमा तक हुए व्यय को यथा उपरोक्त अधिकतम सीमा में शामिल किया जा सकता है ।

मोबाइल वैन के संचालन संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति एजेंसियों को एनएचडीसी द्वारा की जाएगी । एनएचडीसी इस धनराशि की प्रतिपूर्ति दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार **अनुबंध-II** की **परिशिष्ट-"घ"** में उल्लिखित लेखा परीक्षित दावा के प्राप्त होने पर वास्तविक खर्च के आधार पर करेगी और इसमें भाड़ा प्रभारों की नियमित प्रतिपूर्ति भी शामिल होगी ।

मोबाइल वैन के संचालन हेतु एनएचडीसी की यह प्रतिपूर्ति पैरा 5.1 में उल्लिखित सहायता की एक समान दर के अलावा होगी और प्रतिवर्ष अधिकतम 36.00 लाख रूपए तक सीमित होगी ।

अनुवीक्षण - (मानीटरिंग)

इस घटक के कार्यान्वयन का नियमित तौर पर एनएचडीसी के बोर्ड आफ डायरेक्टर और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किया जाएगा ।

(ख) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम में निवेश:

पृष्ठभूमि:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तौर पर फरवरी, 1983 में की गई जो हथकरघा क्षेत्र के त्वरित विकास में मदद करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की ऐसी एजेंसी की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसरण में थी जो उचित कीमत सभी इनपुट्स की अधिप्राप्ति और आपूर्ति करने, राज्य हथकरघा एजेंसियों के विपणन प्रयासों का संवर्धन करने, तथा हथकरघा क्षेत्र और उसकी उत्पादकता संबंधी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने वाली विकासपरक गतिविधियां प्रारंभ करने संबंधी सभी कार्यों का समन्वय करे । एनएचडीसी, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है । एनएचडीसी के इक्विटी बेस को मजबूत करने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 1.00 रूपए की दर से इक्विटी प्रदान करती रही है ।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम राज्य हथकरघा एजेंसियों, शीर्ष निकायों, क्षेत्रीय संघों, बुनकर सहकारिताओं, हथकरघा विकास केन्द्रों, हथकरघा एसोसिएशनों और निर्यात संवर्धन में लगी हथकरघा विनिर्माता यूनिटों के माध्यम से धागा, रंग और रसायनों की आपूर्ति करता रहा है । यह 522 से भी ज्यादा प्रतिष्ठित कताई मिलों से सभी किस्म के धागों अर्थात सूती, पालिएस्टर, विस्कोस, मिश्रित, ऊनी, रेशमी, जूट आदि की अधिप्राप्ति करता रहा है और उसे 1271 से भी ज्यादा एजेंसियों को उपलब्ध कराता रहा है ।

एनएचडीसी की गतिविधियों का आशय निम्नलिखित की उपलब्धि करना है :-

- हथकरघा बुनकरों को धागा, रंग तथा रसायन और अन्य निवेश जैसे कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- अवसंरचनात्मक तथा यथोचित प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देना ।
- उच्च स्तरीय उत्पादन हेतु विपणन अवसरों का सृजन, तथा निर्यात हेतु विपणन अवसरों को बढ़ाना ।
- हथकरघा निगमों, सहकारिता सोसाइटियों, तथा अन्य निकायों अथवा उत्पादन एवं हथकरघा क्षेत्र के विकास में लगे लोगों को केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान दिलाने वाले माध्यम के रूप में कार्य करना ।

उद्देश्य:

इस घटक का उद्देश्य एनएचडीसी को अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करना है ताकि यह अपनी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी लाने के लिए अपेक्षित बढ़ा हुआ क्रेडिट प्राप्त करने हेतु अपने

इक्विटी बेस को बढ़ाने में सक्षम हो सकें । इन गतिविधियों में हथकरघा बुनकरों/हथकरघा संगठनों को धागे की आपूर्ति की मात्रा का बढ़ाया जाना शामिल है ।

3. कार्यक्षेत्र:

दसवीं योजना के दौरान, भारत सरकार निगम के इक्विटी बेस को बढ़ाने के लिए एनएचडीसी का 500.00 लाख रूपए इक्विटी के रूप में मुहैया कराएगी ताकि यह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक क्रेडिट प्राप्त कर सके लेकिन, इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं :-

(1) इस संबंध में एक प्रस्ताव एनएचडीसी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित कराया जाना होगा ।

(2) प्रतिवर्ष अधिकतम इक्विटी आवंटन 1.00 करोड़ रूपए होगा ।

(3) एनएचडीसी को अपने प्रस्ताव के साथ बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा विधिवत अनुमोदित पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी ।

(4) एनएचडीसी भारत सरकार को 100/- रूपए प्रति इक्विटी शेयर (पूर्णतः भुगतान किया गया) के हिसाब से आवंटित करने के लिए इस धनराशि का उपयोग करेगा ।

(5) एनएचडीसी भारत सरकार को लाभांश के भुगतान के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार, (वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, लोग उद्यमिति विभाग आदि) द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों/शर्तों को पूरा करेगा ।

(6) एनएचडीसी, वस्त्र मंत्रालय और एनएचडीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MOU) से संबंधित लक्ष्यों/कार्य दायित्वों को प्राप्ति का सुनिश्चि करेगा ।

अनुबंध-1

मिल गेट योजना के अंतर्गत धागे की आपूर्ति संबंधी योजना के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता का फार्मेट

वचनबद्धता:

उपभोक्ता एजेंसी का नाम और पता :

(1) यह समिति/निगम/एजेंसी हथकरघा वस्त्र तैयार करने में लगी हुई है और मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से समिति/निगम/एजेंसी द्वारा प्राप्त किये गये धागे का कपड़ा तैयार करने वाले हमारे केन्द्रों के उपयोग के लिए और/अथवा हमारे सीधे नाम दर्ज की हुई सदस्य समितियों/बुनकरों को देने के लिए है ।

(2) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए धागे का समिति/निगम/एजेंसी के साथ सीधे नाम दर्ज किए गए संगठनों/बुनकरों के अलावा किसी अन्य संगठन/बुनकरों को पुनः नहीं बेचा जाएगा ।

(3) हमारे साथ सीधे नाम दर्ज की गई सदस्य समितियों/बुनकरों को इस योजना के पूरे-पूरे लाभ उस समय दिए जाएंगे जब इस योजना के अंतर्गत खरीदा गया धागा उनको बेचा जाता है और

(4) इस योजना की किसी एक या एक से अधिक शर्तों का पालन न करने की स्थिति से यह समिति/निगम/एजेंसी राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को (इस वचनबद्धता की तारीख से लेकर पता चलने की तारीख तक) दिए गए धागे के वास्तविक बिक्री मूल्य और परिवहन खर्च, उपरिव्यय आदि को मिलाकर बाजार मूल्य के बीच अंतर के बराबर की रकम को अदा करने का वचन देती है ।

हस्ताक्षर सचिव
रबड़ की मोहर

मुख्य कार्यपालन के हस्ताक्षर
रबड़ की मोहर

स्थान:
दिनांक:

<u>**परिशिष्ट-2**</u>

प्रमाण-पत्र

1. हमने मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत अवधि में एजेंसियों को की गई धागे की आपूर्ति के संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ के लेखों की जांच कर ली है हम संतुष्ट हैं कि एनएचडीसी द्वारा परिकलित राशि सही है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि धागे की आपूर्ति, जिसके लिए प्रतिपूर्ति अवधि का दावा किया गया है, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय से जारी पत्र सं. डीसीएच/6(1)2002-पी एंड एस दिनांक 7 नवंबर, 2002 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है ।

3. धागे की आपूर्ति जिस पर __________अवधि के लिए सरकार की सहायता का दावा किया गया है, पात्र एजेंसियों का ही किया गया है ।

4. ___________अवधि के लिए प्रतिपूर्ति की __________सं. (_____________रूपए)की राशि का पहले दावा नहीं किया गया है ।

5. **परिशिष्ट "क"** में दिए गए वितरण के अनुसार ___________अवधि का दावा हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के पत्र सं. डीसीएच/6(1)2002-पी एंड एस ______ दिनांक 7 नवंबर, 2002 ___________ तथा समय-समय पर इस संबंध में जारी ऐसे अन्य अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाता है ।

6. प्रतिपूर्ति की यह दावा योजना के अंतर्गत दिए गए धागे के बारे में है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचडीसी द्वारा उन सभी एजेंसियों से वचनबद्धता ली गई है जिन्हें _________ अवधि के दौरान धागे की आपूर्ति की गई है ।

8. अनुदानग्राही संस्था के भ्रष्ट व्यवहार अपनाने का शक करने का कोई कारण नहीं है ।

चार्टर्ड अकाउंटेन्ट
मुहर

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

दिनांक:

<u>अनुबंध-।। का परिशिष्ट " क"</u>

______की अवधि के लिए मिल कीमत के अंतर्गत आपूर्ति पर प्रतिपूर्ति के दावे का विवरण

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी का नाम	आपूर्ति किए गए धागे की मात्रा (कि.ग्रा. में)	मिल कीमत पर धागे की लागत (रू. में)	परिवहन की वास्तविक लागत (रू. में)
	कुल जोड़			

प्रतिपूर्ति के दावे की राशि
(आपूर्ति किए गए धागे के मूल्य _______%) रू.___________________
पहले से ही दावा की गई अग्रिम राशि_______ रू.___________________
देय शेष राशि रू.___________________

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम
(रबड़ की मोहर सहित)

चार्टर्ड एकाउंटेंट
(रबड़ की मोहर सहित)

<u>अनुबंध-।। का परिशिष्ट "ख"</u>

मिल - कीमतों पर धागे की आपूर्ति के अंतर्गत, एनएचडीसी द्वारा आपूर्ति किए गए धागे का एजेंसी-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम व पता (प्रत्येक एजेंसी के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए) ____

क्र.सं.	अवधि तारीख	धागे की आपूर्ति प्राप्त की गई मात्रा मूल्य (कि.ग्रा.) (रू.में)	मिल का नाम और स्थान, जिससे धागे की आपूर्ति की गई	आपूर्ति किए गए धागे का गंतव्य	एल आर संख्या	परिवहन कंपनी का नाम	भुगतान किए गए माल की राशि (रू.में)

कुल जोड़____

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा वास्तव में धागे की उपर्युक्त आपूर्ति की गई है और इस निगम/सोसाइटी/एजेंसी द्वारा मालभाड़े की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है ।

कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्रयोक्ता एजेंसी का नाम)
(रबड़ की मोहर सहित)

अनुबंध-।। का परिशिष्ट "ग"

मिल कीमत योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा डिपो प्रचालन की प्रतिपूर्ति के लिए त्रैमासिक रूप से दावे का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	तिमाही की शुरूआत में अवशेष मात्रा मूल्य	मिल कीमत योजना के अंतर्गत प्राप्त किया गया धागा मूल्य	मिल का नाम	मिल कीमत के अलावा प्राप्त किया गया धागा मात्रा	मिल का नाम	तिमाही के दौरान बेचा गया कुल धागा मूल्य	अंतिम स्टॉक	वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 2.5% की दर से प्रतिपूर्ति
	कुल जोड़								

प्रमाणित किया जाता है कि वास्तव में धागे की उपर्युक्त आपूर्ति की गई है और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा डिपो प्रचालन के लिए प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

डिपो प्रचालन के लिए दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि (वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आपूर्ति किए गए धागे के मूल्य का 2.5%________)

कार्यपालक अधिकारी का हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता अभिकरण का नाम)
(रबड़ की मोहर सहित)

चार्टर्ड एकाउंटेंट

अनुबंध-।। का परिशिष्ट "घ"

मोबाइल वैन के प्रचालन के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने का विवरण

क्र. सं.	**राज्य /एजेंसी का नाम**	**प्रचालित मोबाइल वैनों की संख्या तथा दिनों की संख्या**	**एमजीपीएस के अंतर्गत धागे की मात्रा**	**मोबाइल वैनों के माध्यम से धागे की आपूर्ति**	**मोबाइल वैनों को चलाने के लिए प्रतिपूर्ति**		**एनएचडीसी द्वारा दी गई राशि**
					वैन की संख्या	वैन चलाने के लिए दी गई वास्तविक राशि (वैन चालक की रसीद संलग्न करें	

प्रमाणित किया जाता है कि कुल ________दिनों के लिए कुल ______वैनों ने कार्य दिया और मोबाइल वैन प्रचालन के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है ।

दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि (रू.______) (1500/-रू. प्रतिदिन अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर)

कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्रयोक्ता एजेंसी का नाम)
(रबड़ स्टैम्प सहित)

एनएचडीसी चाटर्ड एकाउंटेंट

एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित